

राजस्थान सरकार



संस्था में दिनांक 14-11-2006 को
उपनिषद संशोधन सहित संशोधित
विधान पंजीकृत किये गये।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
नागौर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 81/नागौर/2006-2007
संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 14-11-2006

यह प्रमाणित किया जाता है कि

श्री नारायण शिखण संस्थान कुन्नामतसिरी

जिला नागौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 03-11-2006 माह नवम्बर

सन् दो हजार को नागौर में दिया गया।



- 5 -
रजिस्ट्रार संस्थाएँ, राजस्थान,